



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 2006/ज्येष्ठ 25, 1928

No. 628]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 2006/JYAISTHA 25, 1928

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2006

**का.आ. 915(अ).**— कतिपय विनिर्दिष्ट फसलों पर उपयोग के लिए कतिपय 'रजिस्ट्रीकृत नाशकजीवमार वाला समझा गया' के संबंध में दावा करने के लेबल को हटाने और कतिपय अन्य 'नाशकजीवमार वाला समझा गया' को वापिस लेने की दृष्टि से एक प्रारूप आदेश, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) में, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1747 (अ) तारीख 12 दिसंबर, 2005 के अधीन जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 12 दिसंबर, 2005 में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा देने के, पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व, आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 12 दिसंबर, 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त आदेश के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया जा चुका है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेषज्ञों के कोर समूह की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात और रजिस्ट्रीकरण समिति के परामर्श के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि नीचे प्रगणित रजिस्ट्रीकृत समझे गए नाशकजीवमारों के और उपयोग से मनुष्यों और पशुओं को ऐसी जोखिम कारित किए जाने की संभावना है जो उनकी सुरक्षा, नाशकजीवमार उद्योग से चाहे गए आंकड़ों से पूर्णतः स्थापित नहीं हो सका है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

### आदेश

(क) आदेश के प्रकाशन की तारीख से, प्रत्येक कीटनाशी के विरुद्ध वर्णित की गई फसलों के लिए निम्नलिखित कीटनाशियों के दावा करने के लेबल को अनुमोदित उपयोग से हटा दिया जाएगा :-

## फसलों की सूची अनुमोदित उपयोगों से हटाया जाना :

क्रम संख्या	कीटनाशी का नाम	फसलों का नाम
1.	एल्फा नैपथाईल ऐसिटिक एसिड	मटर तरबूज
2.	एट्राजीन	आलू, बाजरा
3.	एलाक्लोर	गन्ना, सेम, आलू, बंद गोभी, फूल गोभी, प्याज, टमाटर और मिर्च
4.	कारबराईल	अरंड (कैस्टर), बेर, तंबाकू, कॉफी, और सिंघाड़ा
5.	कैप्टान	कॉफी, तंबाकू, मूंगफली, मक्का
6.	क्लोरोमेक्वाट क्लोराइड	बेर
7.	कार्बोफ्यूरान	तंबाकू
8.	डायाजिनोन	सोयाबीन, आम, चाय
9.	डायमीथोएट	सुपारी, पान की बेल, लूसर्न, हल्दी
10.	डाइकोफोल	मूंगफली, मक्का, जीरा, धनिया, सुपारी, नारियल, गन्ना
11.	डाइनोकैप	गेहूँ, कद्दूवर्गीय
12.	डाइथुरोन	चाय, कॉफी, चीकू
13.	एन्डोसल्फान	गन्ना, तंबाकू, काजू, कोको
14.	एथिफोन	खीरा, मूंगफली
15.	फेनथीआन	कपास, लोबिया, मूंगफली, कॉफी, हल्दी
16.	फेनिट्रोथियन	कपास, मूंगफली, एरंड, सरसों, तोरिया, गन्ना, कांफो, तंबाकू
17.	लिन्डेन	ज्वार, काजू, कॉफी, अखरोट, इलायची, मक्का
18.	एम.सी.पी.ए.	गन्ना
19.	मेलाथिआन	अरहर, गन्ना, बरसीम, लूसर्न, संजी
20.	मैन्कोजेब	सेम, नारियल, खरबूजा, लौकी, करेला, सूरजमुखी, अखरोट
21.	मैथिल पैराथिआन	फरासबीन, केस्टर, कॉफी
22.	आक्सीडामेटोन मैथिल	मूंगफली, तिल, भिंडी, बैंगन, प्याज, आलू, टमाटर, सेब, केला, आड़ू, आलूबुखारा, कॉफी, तंबाकू
23.	फोरेट	कॉफी
24.	पैराक्वेट डाइक्लोराइड	पोदीना, कसावा
25.	प्रोपनील	चावल, आलू
26.	पाइरीथ्रम	कपास
27.	क्विनलफोस	कद्दूवर्गीय, नारियल, तंबाकू
28.	ट्राइक्लोरफोन	अरहर, चना, कॉफी, तंबाकू
29.	थायोमीटान	कॉफी, गन्ना, कपास, एरंड, मूंगफली, सरसों, कुसुम, तंबाकू, लोबिया
30.	जिराम	सेम
31.	जिनेब	अफीम, सेम,

(ख) नीचे प्रगणित कीटनाशियों/उत्पादनों को आदेश के प्रकाशन की तारीख से वापिस होना :

## हटाए जाने वाले कीटनाशियों/उत्पादनों की सूची :

क्रम संख्या	कीटनाशी का नाम
1.	डैलापोन
2.	फेरबाम
3.	फोरमोथीआन
4.	निकल क्लोराइड
5.	पैरा-डाइक्लोरोकबेनजीन
6.	सीमाजीन
7.	वारफरिन

(ग) सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऊपरवर्णित की गई नाशकजीवमार के संबंध में लेबल/लिफलेट्स के साथ रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्रों, जो अनुदत्त किए गए हैं, सचिव, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति, एन.एच.IV, फरीदाबाद, को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनको रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र लौटाना चाहिए, जिसके न हो सकने पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहण करने की कार्यवाही आरंभ की जाएगी।

(घ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के पृष्ठांकन या संशोधन इस आदेश के उपबंध के उल्लंघन में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर प्रवर्तित होने के रूप में अनुज्ञा या अनुमोदन नहीं लिया जाएगा।

(ङ) सम्यक् तारीख तक रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं किए जाने पर रद्द समझे जाएंगे।

(च) प्रत्येक राज्य सरकार, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन ऐसे उपाय, जैसे उस राज्य में इस आदेश के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे, करेगी।

(छ) इस आदेश के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए, यथास्थिति, हटाए जाने और/या प्रत्याहरण करना, जैसे ही मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कीटनाशी(यों) के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण आँकड़े उपलब्ध किए जाते हैं, अप्रवर्तनीय हो जाएंगे और सरकार को कीटनाशी उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे और रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।

**MINISTRY OF AGRICULTURE**  
**(Department of Agriculture and Cooperation)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th June, 2006

**S.O. 915(E).**—Whereas a draft Order with a view to delete the label claims of certain 'deemed to be registered pesticides' for use on certain specified crops and withdraw certain other 'deemed to be registered pesticides' was published in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) number S.O. 1747 (E), dated the 12<sup>th</sup> December, 2005 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 12<sup>th</sup> December, 2005, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 12<sup>th</sup> December, 2005;

And whereas, the objections and suggestions received in respect of the said Order have been duly considered by the Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after considering the recommendation of the Core Group of Experts and after consultation with the Registration Committee and on being satisfied that further use of Deemed to be Registered Pesticides enumerated below is likely to cause risk to human beings and animals as their safety cannot be fully established for want of complete data asked for from the pesticide industry, hereby make the following Order, namely :-

**ORDER**

(A) Label claim of the following insecticides for the crops mentioned against each insecticide shall be deleted from approved use with effect from the date of publication of the Order :-

**LIST OF CROPS TO BE DELETED FROM APPROVED USAGES :**

Sl. No.	Name of Insecticide	Name of Crops
1.	Alpha Naphthyl Acetic Acid	Pea, Watermelon

2.	Atrazine	Potato, Bajra
3.	Alachlor	Sugarcane, Beans, Potato, Cabbage, Cauliflower, Onion, Tomato and Chillies
4.	Carbaryl	Castor, Ber, Tobacco, Coffee and Singhara
5.	Captan	Coffee, Tobacco, Groundnut, Maize
6.	Chlormequat Chloride	Ber
7.	Carbofuran	Tobacco
8.	Diazinon	Soybean, Mango, Tea
9.	Dimethoate	Arecanut, Betelvine, Lucerne, Turmeric
10.	Dicofol	Groundnut, Maize, Cumin, Coriander, Arecanut, Coconut, Sugarcane
11.	Dinocap	Wheat, Cucurbits
12.	Diuron	Tea, Coffee, Sapota
13.	Endosulfan	Sugarcane, Tobacco, Cashew, Cocoa
14.	Ethephon	Cucumber, Groundnut
15.	Fenthion	Cotton, Cowpea, Groundnut, Coffee, Turmeric
16.	Fenitrothion	Cotton, Groundnut, Castor, Mustard, Toria, Sugarcane, Coffee, Tobacco
17.	Lindane	Sorghum, Cashewnut, Coffee, Walnut, Cardamom, Maize
18.	MCPA	Sugarcane
19.	Malathion	Redgram, Sugarcane, Berseem, Lucerne, Sanji
20.	Mancozeb	Bean, Coconut, Muskmelon, Bottlegourd, Bittergourd, Sunflower, Walnut
21.	Methylparathion	Frenchbean, Castor, Coffee
22.	Oxydemeton Methyl	Groundnut, Sesamum, Bhindi, Brinjal, Onion, Potato, Tomato, Apple, Banana, Peaches, Plum, Coffee, Tobacco
23.	Phorate	Coffee
24.	Paraquat Dichloride	Mint, Tapioca
25.	Propanil	Rice, Potato
26.	Pyrethrum	Cotton
27.	Quinalphos	Cucurbits, Coconut, Tobacco
28.	Trichlorfon	Redgram, Bengalgram, Coffee, Tobacco
29.	Thiometon	Coffee, Sugarcane, Cotton, Castor, Groundnut, Mustard, Safflower, Tobacco, Cowpea
30.	Ziram	Beans
31.	Zineb	Opium, Beans,

(B) Insecticides/ products enumerated below shall be withdrawn from the date of publication of the Order :-

1822 GI/06-2

**List of Insecticides/ Products to be withdrawn****S.No.                      Name of Insecticides**

1. Dalapon
2. Ferbam
3. Formothion
4. Nickel Chloride
5. Para-dichlorobenzene
6. Simazine
7. Warfarin

- (C) All registrants who have been granted certificates of Registration alongwith label/leaflets in respect of the above mentioned pesticides should return their Certificates of Registration to the Secretary, Central Insecticides Board and Registration Committee, NH-IV, Faridabad within six months from the date of publication of this order, failing which action to revoke the licence under section 14 of the Insecticides Act, 1968 shall be initiated.
- (D) Non endorsement or correction of the Certificates of Registration will not be taken as permission or approval to operate upon Certificates of Registration in contravention of the provision of this Order.
- (E) Certificates of Registration not submitted by the due date shall be deemed to have been cancelled.
- (F) Every State Government shall take such steps under the relevant provisions of the said Act and the rules made thereunder as it considers necessary for the execution of this Order in the State.
- (G) The deletion and/or withdrawal, as the case may be, made by the Government pursuant to this Order shall become inoperative as soon as the required complete data for the insecticide (s) as per the guidelines is generated and submitted by the Pesticide Industry to the Government and accepted by the Registration Committee.

[F. No. 17-4/1996-PP. 1 (Vol. III-C)]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.